न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर
पीठासीन अधिकारी — श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः— 01/2020 अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः—

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1.जोरा पुत्र मगना जाति रेबारी निवासी पलादर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)		01— रणछा पुत्र मगना जाति रेबारी 02— सरदारा पुत्र मगना जाति रेबारी 03— वरदा पुत्र मगना जाति रेबारी 04— केसा पुत्र मगना जाति रेबारी 05— बाबरा पुत्र मगना जाति रेबारी 06— ईशरा पुत्र हमीरा जाति कुम्हार 07— केसी पत्नि हमीरा जाति कुम्हार 08—गिरधारी पुत्र हमीरा जाति कुम्हार 09— अजा पुत्र किस्तुरा जाति कुम्हार 10— भगवाना पुत्र लखा जाति रेबारी 11— भारताराम पुत्र लखा जातिरेबारी 12— वरजूदेवी पत्नि लखा जाति रेबारी 13— हरचंदराम पुत्र लखा जाति रेबारी निवासीगण पलादर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) 14— व्यवस्थापक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सांचोर 15— व्यवस्थापक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा सांचोर 16— व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा सांचोर 17— भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.)

उपस्थिति —
1— प्रार्थी वकील श्री भगवतीप्रसाद बालौत
2— अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 13 श्री मदनलाल जाट
3— अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 17 एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.02 15:36:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (सांचोर)

निर्णय　　　　　　　　　　दिनांक 26.8.2020

प्रार्थी जोरा पुत्र मगना जाति रेबारी निवासी पलादर ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल में प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 284 रकबा 0.58 हैक्टर व खसरा संख्या 285 रकबा 0.90 हैक्टर जुमले रकबा 1.48 हैक्टर के आयें हुयें है। उक्त खेत में आने जाने के लियें रास्ता राजस्व रेकर्ड में नहीं है। किन्तु आवागमन का रास्ता सुखाचार के रूप में कदीमी से प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए टू बी व सी चल रहा है जो अप्रार्थी संख्या 01 से 13 की संयुक्त खातेदारी के खेतो में से चलता है। अप्रार्थीगण रणछा के खेत खसरा संख्या 287 रकबा 1.55 हैक्टर में से 72×4 यानि 288 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या 02 सरदारा के खेत खसरा संख्या 290 रकबा 1.44 हैक्टर में से 56×4 यानि 224 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या 03 वरदा के खेत खसरा संख्या 292 रकबा 1.59 हैक्टर में से 80×4 यानि 300 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या 04 केसा के खेत खसरा संख्या 294 रकबा 1.08 हैक्टर में से 64×4 यानि 256 वर्गमीटर, खसरा संख्या 1073/295 रकबा 0.50 हैक्टर में से 112×4 यानि 448 वर्गमीटर अप्रार्थी संख्या 05 बाबरा के खेत खसरा संख्या 295 रकबा 1.43 हैक्टर में से 48×4 यानि 192 वर्गमीटर खेत खसरा संख्या 296 रकबा 0.54 हैक्टर में से 112×4 यानि 448 वर्गमीटर व इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 06 ईसरा अप्रार्थी संख्या 07 केसी, अप्रार्थी संख्या 08 गिरधारी के खेत खसरा संख्या 381 रकबा 2.26 हैक्टर में से 56×4 यानि 224 वगमीटर अप्रार्थी संख्या 09 अजा के खेत खसरा संख्या 380 रकबा 3.01 हैक्टर में से 4×4 वर्गमीटर यानि 16 वर्गमीटर व अप्रार्थी संख्या 10 भगवानाराम, अप्रार्थी संख्या 11 भारताराम, अप्रार्थी संख्या 12 वरजूदेवी, अप्रार्थी संख्या 13 हरचंदराम के खेत खसरा संख्या 377 रकबा 1.77 हैक्टर में से व खेत खसरा संख्या 378 रकबा 2.16 हैक्टर व खेत खसरा संख्या 379 रकबा 2.32 हैक्टर में से 500×4 यानि 2000 वर्गमीटर सेढे सेढे होकर प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए,बी,सी अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 284 व 285 में जाता है जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने से व यहीं एक मात्र रास्ता प्रार्थी के सुविधा के लियें सही है तथा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'ए' के तहत रास्ता अभिलिखित किया जाना न्याय संगत है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के आवागमन उपयोग व उपभोग की सुविधाजनक है। .इसके अलावा अन्य कोई रास्ता की भूमि कटाण रास्ते से आवेदक के खेत व ढाणी तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ता नहीं है जिसे राजस्व रेकर्ड अभिलेख अभिलिखित किया जावे, मौके पर रास्ता चालू है जिसके फोटो संलग्न है तथा प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने के लियें तैयार है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम हेतु भूमिधारी तहसीलदार सांचोर को प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए से सी अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम करने हेतु लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 13 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी खेतो में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार रास्ता दिया जाता है व राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उजर या ऐतराज नहीं है तथा हमारे उपरोक्त खातेदारी खेतो में से प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.02 16:36:22 IST
Reason: SelfAttested

हमारी खातेदारी भूमि की प्रतिफल की राशि की भी हमें आवश्यकता नहीं है तथा न ही रास्ते में जाने वाली भूमि की हमें अप्रार्थीगण को प्रतिफल की राशि प्राप्त करना चाहते है। अतः ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन है कि माफिक प्रार्थना पत्र प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित रास्ता प्रार्थी के पक्ष में घोषित किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का उजर या ऐतराज नहीं है। अन्य अप्रार्थीगण 14 से 17 नोटिस तामिल बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त प्रकरण में दिनांक 30–07–2020 को रास्ता बाबत् मौका देखकर मौका रिर्पोट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार सांचोर ने उक्त रास्ता के संबंध में दिनांक 20–08–2020 को अपनी मौका जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी जोरा पुत्र मगना जाति रेबारी द्वारा खसरा नम्बर 284 व 285 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग पर खसरा नम्बर 377, 378, 379, 380, 381, 296, 295, 1073/295, 294, 291, 290 व 287 में से 04 मीटर चौडे रास्ते की मांग पर प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार की गई मौके पर दोनो पक्षकारो के रूबरू मौका देखा गया जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई व चौडाई का विवरण खसरा नम्बरान निम्न प्रकार है प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 377 में से 62×4=248मीटर=0.0248 हैक्ट. , खसरा नम्बर 378 में से 88×4=352मीटर=0.0352 हैक्ट. ,खसरा नम्बर 379 में से 350×4=1400मीटर=0.1400 हैक्ट. ,खसरा नम्बर 380 में से 8×6=48मीटर=0.048 हैक्ट. , खसरा नम्बर 381 में से 120×4=480मीटर=0.0480 हैक्ट. , खसरा नम्बर 396 में से 64×4=256मीटर=0.0256 हैक्ट. , खसरा नम्बर 395 में से 60×4=240मीटर=0.0240 हैक्ट. , खसरा नम्बर 1073/295 में से 112×4=448मीटर=0.0448 हैक्ट. , खसरा नम्बर 394 में से 66×4=264मीटर=0.0264 हैक्ट. , खसरा नम्बर 391 में से 14×4=56मीटर=0.0056 हैक्ट. , खसरा नम्बर 392 में से 66×4=264मीटर=0.0264 हैक्ट., खसरा नम्बर 290 में से 56×4=224मीटर=0.0224 हैक्ट. , खसरा नम्बर 287 में से 72×4=288मीटर=0.0288 हैक्ट. कुल रकबा 0.4568 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु चाही गई है जो संलग्न नक्शा अनुसार बिन्दु ए से बी दर्शायी गई है। उक्त बिन्दु ए से बी तक मौके पर रास्ता चल रहा है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। वर्तमान में दोनो पक्ष उक्त रास्ता को कटाण किये जाने पर सहमत है। खसरा नम्बर 291 की किस्म गैर मुमकिन ढाणी है जिसे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली पडी है तथा रास्ता चल रहा है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा बहस के दोरान प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दोहरान किया की प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 284 व 285 की जमाबंदी तथा अप्रार्थी संख्या 01 ता 13 के खातेदारी की जमाबंदी, नकले प्रस्तुत की तथा उक्त खेतो में से चलने वाले रास्ते के फोटो इत्यादी पेश किये तथा तहसीलदार सांचोर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 13 द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 13 ने अपने ईकबाली जवाब में बताया की अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल नही लेने की बात की हैं। चाहा गया रास्ता कदीमी मौके पर चलता है व प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व से मौके पर होने से उक्त रास्ते की भूमि में कोई वृक्ष इत्यादी भी मौके पर नहीं होना तहसीलदार सांचोर की रिपोर्ट से साबित है। तमाम सबूतो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 13 के खेतो में से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रदर्श नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए से सी रास्ता मौके पर चलता है तथा तहसीलदार सांचोर की मौका रिपोर्ट से भी जाहीर है कि उक्त रास्ता प्रार्थी के सुविधाजनक है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचोर
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.02 15:36:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है कि वाके सरहद मौजा पलादर के खेत खसरा संख्या 377 में से 62 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 248 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0248 हैक्टर, खसरा संख्या 378 में से 88 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 352 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0352 हैक्टर, खसरा नम्बर 379 में से 350 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 1400 वर्गमीटर यानि रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 380 में से 08 मीटर लम्बाई व 06 मीटर चौडाई यानि 48 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0048 हैक्टर, खसरा नम्बर 381 में से 120 लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 480 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0480 हैक्टर, खसरा संख्या 296 में से 64 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 256 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0256 हैक्टर, खसरा संख्या 295 में से 60 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 240 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0240 हैक्टर, खसरा संख्या 1073/295 में से 112 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 448 वर्गमीटर यानि रकबा 0. 0448 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 में से 66 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 264 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0264 हैक्टर, खसरा संख्या 291 में से 14 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 56 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0056 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 में से 66 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 264 वर्गमीटर यानि रकबा 0.0264 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 में से 56 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 224 वर्गमीटर यानि 0.0224 हैक्टर, खसरा नम्बर 287 में से 72 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई यानि 288 वर्गमीटर यानि 0.0288 हैक्टर कुल रकबा 0.4568 हैक्टर भूमि तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट में नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 ता 13 के खाते में से कम की जाकर उक्त रास्ता राजकीय कटाण रास्ता दर्ज किया जावे व रास्ते में दर्ज की गई भूमि का लगान अप्रार्थी संख्या 01 ता 13 के खाते से कम किया जावे।

उभयपक्षकारन को प्रस्तावित नये रास्ते के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी।

1. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे को अप्रार्थीगण को बिना प्रतिकर दिये तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सींमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

2. नये प्रस्तावित 4 मीटर चौडे रास्ते मं समाविष्ट होने वाली भूमि के सबंध में अभिघृति निर्वासित हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेंखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित ही जायेगी जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होंगी।

3. प्रार्थी को उक्त 4 मीटर चौडे रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नंही होंगे।

4. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

5. मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तहसीलदार निर्णय के अनिवार्य भाग रहेंगे।

6. तहसीलदार सांचोर के नाम उक्त आशय की तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.02 15:36:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी पक्षकार को नया तथा 4 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

26.8.2020

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी साचोंर

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

सहायक कलेक्टर
एंव उपखण्ड अधिकारी साचोंर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.02 15:36:22 IST
Reason: SelfAttested